कार्यालय जिला पंचायत, बेमेतरा (छ.ग.)

क्र./ 4702 /जि.पं./एन.आर.एल.एम/ 2017 बेमेतरा, दिनांक 18/ 9 /2017

प्रति,

कलेक्टर
जिला बेमेतरा

विषयः— कलेक्टोरेट एवं जिला पंचायत में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अन्तर्गत स्व सहायता समूह के कैनटीन चलाने हेतु निविदा आमंत्रण के संबंध में

संदर्भः— कलेक्टोरेट एवं जिला पंचायत बेमेतरा के ज्ञापन क./......./ 2017./ बेमेतरा दिनांक ..../09/2017

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कलेक्टर महोदय द्वारा कलेक्टोरेट एवं जिला पंचायत बेमेतरा के परिसर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अन्तर्गत स्व सहायता समूह के कैनटीन चलाने हेतु निविदा आमंत्रण के संबंध में विज्ञापन आयोजित किये जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। योजनातंर्गत आयोजित विज्ञापन में स्व सहायता समूह के द्वारा कैंनटीन के लिये नास्ता एवं भोजन प्रदाय करने हेतु निविदा आमंत्रण किया जाना प्रस्तावित है। जिसके मापदण्ड निम्नानुसार है :—

1. स्व सहायता समूह जो बिहान अन्तर्गत पंजीकृत हो वही आवेदन देने के पात्र होगें।
2. स्व सहायता समूह जो विगत चार माह से निरंतर पंचसुत्रों का पालन कर रहे हो वही आवेदन देने के पात्र होगें।
3. स्व सहायता समूह जो सक्रिय हो एवं पुस्तक संधारण का काम नियमित रूप से करती हो वही आवेदन देने के पात्र होगें।
4. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में जो महिलाएं सक्रिय हो, चार माह पूर्व एन.यू.एल.एम से जुड चूकि हो उन्हे भी आवेदन देने का पात्र माना जावेगा।
5. बिहान अन्तर्गत स्व सहायता समूह एवं एन.यू.एलएम अन्तर्गत स्व सहायता समूह ही केवल आवेदन देने के पात्र होगें।
6. कलेक्टर एवं जिला पंचायत द्वारा निःशुल्क कार्य के लिये स्व सहायता समूहों को स्थान उपलब्ध कराया जायेगा। जिसमें उन्हे मानदेय की कोई पात्रता नही होगी। वे स्वयं से अपना आजीविका अर्जीत करेंगे।
7. भोजन में गुणवत्ता विद्यमान होनी चाहीऐ।
8. कैनटिन संचालन का समय सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक रहेगा।
9. स्व सहायता समूह स्वयं ही अपने गैस स्टोव, सिलेण्डर, बर्तन की व्यवस्था स्वयं करेंगे, (भोजन पकाने एवं परोसने का बर्तन स्व सहायता समूह का होगा।)
10. किचन में स्वच्छता एवं साफ सफाई बनाये रखने की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
11. जितना भी कूडा कचरा खाद्य पर्दाथ से होगा उनको साफ रखने की जिम्मेदारी स्व सहायता समूह की होगी।

12. स्व सहायता समूहों को स्वयं ही अपना बिजली बिल का भुगतान करना होगा एवं किसी भी प्रकार का बिल जैसे पानी का बील, फोन का बील, आने जाने की व्यवस्था भी स्वयं ही करनी होगी।
13. धुंआ रहित चुल्हा का ही उपयोग करना होगा। जैसे एल.पी.जी. या इन्डक्शन, सौर्य उर्जा का उपयोग करने की अनुमति है।
14. स्व–सहायता समूह (आवेदक) अपना आधार कार्ड, पासबुक की फोटाकॉपी, पंजीयन का दस्तावेज, अध्यक्ष सचिव का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो एवं फार्म को सरपंच द्वारा एवं स्व–प्रमाणित करके जमा करें।
15. जो स्व–सहायता समूह कम से कम 02 साल का अनुभव रखते है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बेमेतरा

पृ.क्र./ 4703 /जि.पं./एन.आर.एल.एम/ 2017 बेमेतरा, दिनांक 18/9 /2017

प्रतिलिपि :–

1. राज्य मिशन संचालक, इन्द्रावती भवन नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बेमेतरा

पंजीयन फार्म

क्र.	सामग्री की सूची	केटरर्स/भोजनालय का नाम			
		स्व सहायता समूह का नाम		सदस्यों का नाम (जो कार्यरत होगें)	रिमार्क
		एन.आर.एल.एम	एन.यू.एल.एम		
1					
2					
3					
4					
5					

अध्यक्ष का नाम

सचिव का नाम

हस्ताक्षर

नाम :– ....

पता :– ....

स्व सहायता समूह के :–

अध्यक्ष का नाम ....

सचिव का नाम ....

समूह का पंजीयन कमांक ....

. स्व सहायता समूह अपना सारा दस्तावेज निम्नलिखित फार्म में संलग्न करना अनिवार्य है।

1. स्व सहायता समूह अपना पंजीयन कमांक वाला दस्तावेज लगाये।
2. स्व सहायता समूह अपना बैंक खाता पासबुक का दस्तावेज लगाये।
3. किस संस्था से स्व सहायता समूह पंजीकृत है उनका दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।
4. जो स्व सहायता समूह मध्यान्ह भोजन या रेडी टू ईट का संचालन कर रहे है। वो इसके लिये पात्र नही है, किन्तु वो आवेदन प्रस्तुत करते है तो उन्हे साथ में शपथ पत्र प्रदान करना होगा, कि वे यहां कार्यालय समयावधि में कार्यरत रहेंगे और दूसरा कार्य संचालित नही करेंगे।
5. जो स्व सहायता समूह इस कार्य को छोडना चाहता है वे नियमानुसार 15 दिवस पूर्व कार्यालय कलेक्टर एवं जिला पंचायत को सूचित करेंगे।
6. स्व सहायता समूहों को स्वयं ही अपना बिजली बिल का भुगतान करना होगा एवं किसी भी प्रकार का बिल जैसे पानी का बील, फोन का बील, आने जाने की व्यवस्था भी स्वयं ही करनी होगी।
7. धुंआ रहित चुल्हा का ही उपयोग करना होगा। जैसे एल.पी.जी. या इन्डक्शन, सौर्य उर्जा का उपयोग करने की अनुमति है।

8. स्व–सहायता समूह (आवेदक) अपना आधार कार्ड, पासबुक की फोटाकॉपी, पंजीयन का दस्तावेज, अध्यक्ष सचिव का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो एवं फार्म को सरपंच द्वारा एवं स्व–प्रमाणित करके जमा करें।

9 जो स्व–सहायता समूह कम से कम 02 साल का अनुभव रखते है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।